अनुदान संख्या 9 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9–MINISTRY OF CIVIL AVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	475,60,00		1156,01,00	1146,96,31	–9,04,69
पूरक	Supplementary	680,41,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,50,02
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	142,00,00		142,01,00	107,49,77	–34,51,23
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					34,31,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	774.00	807.49	807.47	–0.02
पू.	S.	83.00			
पु.	R.	–49.51			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	46419.00	113676.49	113573.05	–103.44
पू.	S.	67958.00			
पु.	R.	–700.51			

(I) 17.00 लाख रु. प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - नागर विमानन महानिदेशक'' - 1197.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 94.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1292.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 233.67 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(खा) ''प्रशिक्षण और शिक्षा - प्रशिक्षण एवं अनुज्ञापन निदेशालय'' - 69.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.38 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 77.23 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 20.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(गा) ''अनुसंधान और विकास - अनुसंधान और विकास निदेशालय'' - 181.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5.02 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 186.67 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 48.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(घा) ''निरीक्षण - वैमानिक निरीक्षण नियंत्राक'' - 679.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 62.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 741.80 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 149.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - नागर विमानन मंत्रालय'' के अंतर्गत 764.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2008 में 83.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 847.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो 46.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.17.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Supplementary grant obtained in November, 2007 and March, 2008 under Major Head "3053" – "General" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Direction and Administration – Director General Civil Aviation" – the original provision of Rs.1197.90 lakhs was augmented to Rs.1292.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.94.40 lakhs. However, there was a saving of Rs.233.67 lakhs (including supplementary grant);

(B) "Training and Education – Directorate of Training and Licencing" - the original provision of Rs.69.85 lakhs was augmented to Rs.77.23 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.38 lakhs. However, there was a saving of Rs.20.33 lakhs (including supplementary grant);

(C) "Research and Development – Directorate of Research and Development" – the original provision of Rs.181.65 lakhs was augmented to Rs.186.67 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5.02 lakhs. However, there was a saving of Rs.48.35 lakhs (including supplementary grant);

(D) "Inspection – Controller of Aeronautical Inspection" – the original provision of Rs.679.60 lakhs was augmented to Rs.741.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.62.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.149.16 lakhs (including supplementary grant); and

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Civil Aviation" – the original provision of Rs.764.50 lakhs was augmented to Rs.847.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.83.00 lakhs in March, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.09 lakhs.

Savings under the above five heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3053" – "General - Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''हवाई खेलों के विकास के लिए भारतीय हवाई क्लब को सहायता अनुदान'' - 608.00 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Grants-in-aid to Aero Club of India for Development of Aero-Sports"-saving of Rs.608.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs); and

(खा) ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान'' - 610.00 लाख रु. की बचत (4280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy"- saving of Rs.610.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4280.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of projects.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.15 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.87.15 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 13157.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (Rs.1000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.13157.00 lakhs in March, 2008 under Major Head "3053"- "General – Other Expenditure – Subsidy for Operation of Haj Charters".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2002.00			
पु.	R.	–2002.00	..	..	..

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	9948.00			
पू.	S.	1.00	9020.00	8999.77	–20.23
पु.	R.	–929.00			
मुख्य शीर्ष "7053" नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation				
मू.	O.	2250.00	1750.00	1750.00	. .
पु.	R.	–500.00			

(I) 2002.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2002.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"-"Airports – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India"-due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5053" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(II) Under Major Head "5053"-"General"-savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रशिक्षण और शिक्षा - नागर विमानन महानिदेशालय" - 3209.06 लाख रु. की बचत (8265.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से गोंदिया में राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को चालू करने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Training and Education – Directorate General of Civil Aviation" - saving of Rs.3209.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8265.00 lakhs) was due to delay in commissioning of National Flying Academy at Gondia owing to administrative constraints.

(खा) "अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा" - 1177.34 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure-Civil Aviation Security"-saving of Rs.1177.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for construction of Regional Office Building at Mumbai owing to administrative constraints.

(III) मुख्य शीर्ष ''7053'' - ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' के अंतर्गत 500.00 लाख की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ चुनिंदा परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 69.03 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 3502.00 लाख रु. का अधिक व्यय (248.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए आबंटन को बढ़ाए जाने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "7053"-"Loans to Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India (National Airports Division)"- saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow progress of certain selected projects.

(IV) Under one head saving of Rs.69.03 lakhs occurred constituting 29 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5053" - "Airports-Investment in Public Sector and Other Undertakings-Airports Authority of India (National Airports Division)" - excess of Rs.3502.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.248.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and increased allocation for externally aided projects.